

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 836 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Sarita Dwivedi

...Applicant

Versus

State of UP & Ors.

...Respondents

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 2/ Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1 - 3
2.	Annexure No. R2/ 1 A copy of the No Objection Certificate dated 20.01.2007 to the Project Proponent	4 - 5
3.	Annexure No. R2/ 2 A true copy of the guidelines issued by the Lucknow Development Authority	6 - 7
4.	Annexure No. R2/ 3 A true copy of UPPCBO Office Order No.-H 16405/220/2018/02 dated 16.02.2018.	8 - 14
5.	Annexure No. R2/4 A true copy of the Consent to Operate dated 30.07.2024	15 - 19
6.	Annexure No. R2/5 A true copy of Office Order 13.03.2018 issued by the Environment Department, State of UP.	20 - 37

**RESPONDENT NO. 2
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
THROUGH**

Amit Shukla, Advocate
D-54, Sector-48
Noida - 201303

Ph. No. 9999933220; 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

Date: 15.02.2025
Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 836 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Sarita Dwivedi

Versus

State of UP & Ors.



...Applicant

...Respondents



ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 22.10.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Sanjeev Kumar Singh, S/o Shri Lal Sahab Singh, aged about 38 years, presently posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), TC-12V, Vibhuti Khand, Gombi Nagar, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the aforementioned capacity, I am conversant with the facts and circumstances of the present case and therefore, competent to swear the present Affidavit.

2. That this Hon'ble National Green Tribunal, vide its order dated 08.01.2025 has directed as under:

"The Member Secretary, UPPCB is directed to look into the aspects as to why condition was imposed for maintaining 33 % area is greenbelt and why the area of greenbelt was reduced to 15% and was thereafter restored to 33 %; what area is required to be maintained as greenbelt in view of building regulations applicable to the project and whether greenbelt has been established in




sk

accordance with Such building regulation/condition imposed by UPPCB by the Project Proponent.”

3. That during the Joint Committee inspection dated 03.10.2024 it was observed that only 15-16% Green belt has been developed by the Developer and the Project Proponent has not maintained 33% green belt as stipulated in the No Objection Certificate (NOC) dated 20.01.2007.
4. That further it is stated the NOC was granted to the Project Proponent vide letter dated 20.01.2007 wherein the green belt was mandated 33% of the proposed area in para no. 9 of the NOC. However, the said area of green belt was changed to 15% vide letter of amendment dated 05.02.2007 in pursuance to the guidelines being issued by the Lucknow Development Authority. A true copy of the NOC letter dated 20.01.2007 and amendment letter dated 05.02.2007 are collectively being annexed herewith and marked as **Annexure R2/1**.

A true copy of the guidelines issued by the Lucknow Development Authority is annexed herewith and marked as **Annexure R2/2**.

5. That the Consent to Operate being issued by the Board on 30.07.2024 (Para 10) has mandated the green belt area as 33% in terms of the provisions laid down in UPPCB Office Order No.-H 16405/220/2018/02 dated 16.02.2018 (Para 1-D). There is provision in the office order that the unit/industry can develop equivalent or more green belt outside the premises at suitable place. So green belt more than the permissible green belt as per building by law can be developed at suitable place outside the premises.



sk

A true copy of Office Order No.-H 16405/220/2018/02 dated 16.02.2018 is being annexed herewith and marked as **Annexure R2/3.**

A true copy of the Consent to Operate dated 30.07.2024 is being annexed herewith and marked as **Annexure R2/4.**

6. That the Department of Environment, State of Uttar Pradesh vide its Office Order No.-183/55-2-2018/09(Writ)/2016 dated 13.03.2018 has prescribed the norms regarding the plantation/development of green belt in building construction projects. The office order provides that in the event a unit/industry does not have the desired land for developing the green belt, the concerned authorities(as mentioned in Officer Order dated 13.03.2018) shall ensure the availability of the community land for developing the green belt area. The office order dated 13.03.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure R2/5.**

7. That the contents of the Affidavit are true and correct and nothing material has been concealed thereof.



sk
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this the 18th day of February, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn and Verified before me.

NOTARY

Y. Ma
18/2/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

sk
DEPONENT

I know & identify the deponent/Executed who has signed/ put his T.I. before me

Adv
S. Iqbal Advocate
Reg. No. 6043/1999
Adv 216

पर्यावरण
PARYAVARANक्षेत्रीय कार्यालय
Regional Officeदूरभाष : २३८८३११
Phone : 2388311

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

Annexure R2/1

सन्दर्भ सं०
Ref. No. :

1716/1400-3189/07

दिनांक

Dated : 20.01.2007

सेवा में,

मै० ओगेक्स सिटी,
औरंगाबाद जागीर, औरंगाबाद खालसा,
लखनऊ ।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गमन के सम्बन्ध में :
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करें । आपके आवेदन पत्र के अभिलेखों एवं प्रेषित सूचनाओं के आधार पर जांच की गयी तथा आपके आवेदन पर विचार किया गया । आपको ग्राम- औरंगाबाद खालसा, के खसरा सं०-1167-1283, 1285 ग, 1285 ख, 1379, 1312, 1313, 1316, 1317, 1319, 1321, 1329, 1336, 1598, 1599, 1600, 1603, 1606, 1673, 1674, 1677, 1680, 1681, 1683, 1713 एवं ग्राम औरंगाबाद जागीर खसरा सं०- 1465 पर टाउनशिप एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है :-

1. आप द्वारा निर्माणाधीन टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल एवं विल्टअप एरिया प्रस्तावित क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा ।
2. टाउनशिप भू-जल से आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग के सूक्ष्म अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा ।
3. स्थल पर निर्माण कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा ।
4. टाउनशिप प्रस्तावनुसार 2200 के०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का निर्माण डिसइन्फेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करेगा तथा शुद्धिकृत उत्प्रावाह का प्रस्तावानुसार ग्रीनबेल्ट, गार्डनिंग एवं फ्लशिंग हेतु प्रयोग करेगा ।
5. टाउनशिप शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करे तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करे ।
6. सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट नियमानुसार किया जाये तथा बायोडीग्रेडेबुल वेस्ट के लिए वर्मीकल्चर किया जाये ।
7. समस्त प्रस्तावित डी०जी० सेट्स पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जाये ।
8. टाउनशिप नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करे ।
9. टाउनशिप नियमानुसार कम से कम 33 प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करे ।
10. टाउनशिप से कोई भी प्रदूषित उत्प्रावाह बाहर जनित नहीं होगा ।
11. टाउनशिप को संचालन से पूर्व बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त करना होगा ।
12. आपकी टाउनशिप का कवरिंग एरिया 50 हेक्टेयर से कम होने के कारण आपको ई०आई०ए० नोटिफिकेशन 2006 संबंधी अधिसूचना दिनांक- 14.09.2006 के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।
13. उपरोक्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रतिमाह बोर्ड को सूचित करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति निरस्त करते हुये जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

मुख्य
(के०के०शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित ।

- 1- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ ।
- 2- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

1864/NOC-3189/07

5-2-07

सेवा में,

मै० ओमेक्स सिटी,
औरंगाबाद जागीर, औरंगाबाद खालसा,
लखनऊ ।


विषय: अनापत्ति प्रमाण-पत्र सं०- १७१६/एन०ओ०सी०-३१८६/०७
दिनांक- २०-०१-०७ में संशोधन के सम्बन्ध में :

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक- ०२-०२-०७ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । आपकी पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत एल०डी०ए० द्वारा निर्गत तलपट मानचित्र का परीक्षण किया गया । उनके परीक्षण एवं आपके प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए आपको निर्गत एन०ओ०सी० संख्या १७१६/एन०ओ०सी०-३१८६/०७ दिनांक-२०-०१-०७ में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :-

- १- पत्र के पैरा नं०-१ में खसरा संख्या १३७६ के स्थान पर १३०६ पढ़ी जाये ।
- २- बिन्दु संख्या- ६ पर अंकित हरित पट्टिका के रूप में विकसित किये जाने वाला क्षेत्रफल एल०डी०ए० द्वारा अंकित निर्देशों के अनुसार आपके टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल का कम से कम १५ प्रतिशत रखने में बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है ।
- ३- अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगी ।

भवदीय,



(के०के०शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी



Annexure R2/2

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016)



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2303623, 2303624, 2303133 वेबसाइट www.ldalucknow.co.in

2.2 खुले स्थान

- 2.2.1 जोनल डेवलपमेंट (क) प्लान (ख) ले-आउट प्लान**
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन के उद्देश्य से जोनल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत जोन के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि पार्क एवं खुले स्थल/हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित की जाएगी।
- (I) **आवासीय भू-उपयोग** आवासीय ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी, जिसे 'टाट-लाट', पार्क तथा खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में पार्क एवं खुले स्थानों हेतु ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जायेगी। यदि किसी योजना के ले-आउट प्लान में मानक के अनुसार पार्क एवं खुले स्थल हेतु भूमि आरक्षित की गई हो, तो उस योजना में 'ग्रुप हाउसिंग' भूखण्ड के सापेक्ष पुनः पृथक से पार्क एवं खुले स्थल का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (II) **अनावासीय भू-उपयोग** अनावासीय क्षेत्र के ले-आउट प्लान, जो जोनल डेवलपमेंट प्लान का भाग हो, के अन्तर्गत पार्क एवं हरित पट्टिकाएं और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिये खुले स्थान का क्षेत्रफल ले-आउट के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत होगा, जिसे पार्क, ग्रीनरी/ग्रीन बैल्ट, इत्यादि के रूप में विकसित किया जायेगा। जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रभावी न होने की दशा में खुले स्थानों हेतु ले-आउट के कुल क्षेत्रफल की न्यूनतम 10% भूमि आरक्षित की जायेगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (I) तथा (II) के अन्तर्गत अपेक्षित खुले स्थान महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान के अतिरिक्त होंगे अर्थात् महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए तलपट मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में भी उपर्युक्त प्रस्तर-2.2.1 के (I) एवं (II) की अपेक्षानुसार खुले स्थान का अलग से प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षित भूमि की गणना इसी प्रतिशत में सम्मिलित की जा सकती है। परन्तु 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम भूखण्डों का उप-विभाजन प्रस्तावित होने की दशा में खुले स्थान का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा।

- 2.2.2 खुले स्थान के मानक**
- (I) खुले स्थान की न्यूनतम औसत चौड़ाई 7.5 मीटर होगी तथा खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर होगा। स्थल की भौतिक आकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा भिन्न आकार में खुले स्थान इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किए जा सकेंगे कि उनसे समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो।
- (II) खुले स्थान की सीमा यथास्थिति भूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु भूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ-वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ-वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ-वेज अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।

2.2.3 लैंडस्केप प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व लैंडस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्राविधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी :-

- (I) 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- (II) औद्योगिक विकास मानचित्र के साथ लैंडस्केपिंग प्लान का अनुमोदन भी आवश्यक होगा जिसमें कुल खुले स्थल के भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे।
- (III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

Annexure R2/3

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी.-12वी, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक: H16405/220/2018/02

दिनांक: 16.02.2018.

कार्यालय ज्ञाप

विषय-वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग हेतु ग्रीन बेल्ट का विकास।

बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी26524/220/2018/1, दिनांक 12.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग हेतु ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप को अतिक्रमित करते हुए पुनः निम्नवत् कार्बन ऑफसेटिंग हेतु ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक एवं मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश।

प्रदेश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक औद्योगिक इकाईयों, वाहनों से जनित उत्सर्जन में प्रदूषणकारी गैसों, भवन निर्माण परियोजनाएं एवं विकास सम्बन्धी निर्माण गतिविधियों से जनित धूल के कण इत्यादि हैं। मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-21/2014, वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दि०-04.12.2014 में "Polluter Pays" के सिद्धांत के तहत प्रदूषणकारी उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं इत्यादि से प्रदूषण के संबंध में प्रतिकर का भुगतान अधिरोपित कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया से एवं निर्माण परियोजनाओं से कार्बन अथवा ग्रीनहाउस गैसों का भी उत्सर्जन होता है, जिससे वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत औद्योगिक इकाईयों एवं निर्माण परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण में कमी एवं वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की ऑफसेटिंग किया जाना उनका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।


वायु प्रदूषण नियंत्रण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु वृक्षारोपण का विकल्प।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास एवं औद्योगिक परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु अनेक निर्णय लिये गये हैं तथा पर्यावरण संघात निर्धारण गाइडलाइन के द्वारा उद्योगों एवं निर्माण परियोजनाओं द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य किया गया है। परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि वृक्षारोपण प्रभावी तरीके से नहीं किये जा रहे हैं। वृक्षारोपण अथवा ग्रीन बेल्ट में उचित प्रजातियों का रोपण किये जाने से एक ओर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर वायुमंडल की कार्बन-डाई-आक्साइड के अवशोषित होने से "कार्बन ऑफसेटिंग" भी प्राप्त होती है।

विकसित हरित पट्टिका की देखरेख एवं सतत अनुश्रवण के सम्बन्ध में निर्देश।


उक्त के दृष्टिगत पर्यावरण विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयाँ अथवा निर्माण एजेन्सियों द्वारा औद्योगिक भूखण्ड, सामुदायिक भूमि, परित्यक्त खदानों की भूमि व सेनेटरी लैंडफिल साइट्स पर किये जाने वाले ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण के प्रोटोकाल बनाये गये हैं जो कि संलग्न हैं। ग्रीन बेल्ट, सामुदायिक भूमि अथवा लैंडफिल साइट्स पर वृक्षारोपण संलग्न प्रोटोकॉल के आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाय ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग प्रभावी तरीके से की जा सके। इस प्रकार विकसित हरित पट्टिका की सतत देखरेख, सुरक्षा, अनुरक्षण एवं अतिक्रमण से मुक्त रखने का दायित्व हरित पट्टिका को वित्त पोषित कर विकसित करने वाले उद्योग इकाई पर होगा। यदि औद्योगिक इकाई के विस्तार या अन्य प्रयोजन हेतु हरित पट्टिका की भूमि की आवश्यकता समझी जाती है, तब उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से उपयुक्त स्थल पर समतुल्य या अधिक क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित कराया जाना अनिवार्य होगा। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी एजेन्सी के माध्यम से समय-समय पर विकसित हरित पट्टिका का निरीक्षण करवा कर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यक बाध्यकारी सुझाव भी दे सकता है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त प्रोटोकॉल के आधार पर ही ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण किये जाने की शर्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति प्रदान करते समय अनिवार्य रूप से लगायी जाये।

संलग्नक:—यथोपरि।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. समस्त मुख्य पर्यावरण अधिकारी/वृत्त प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. समस्त विधि अधिकारी—प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल।


सदस्य सचिव

ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु प्रोटोकाल

औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का रोपण।

(I) औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का रोपण :-

- (1) परिपक्वता पर 8-10 मीटर- ऊँचे वृक्ष प्रदूषण स्रोत के चारों ओर रोपित किये जाये।
- (2) बहुपंक्ति रोपण में वृक्षों का स्टैगर्ड (Staggered) रोपण किया जाये।
- (3) पंक्तियों के बीच में छोटी झाड़ियों का रोपण किया जाये जिससे तने के बीच का अंतराल ढक सके।
- (4) खुले क्षेत्र, जहाँ रोपण संभव न हो, वहाँ ग्रास लैंड/श्रुब्स (Grass/Shrubs) का विकास किया जाये।
- (5) प्रजातियों का चयन इस प्रकार हो कि वृक्ष सदाबहार बड़े छत्र वाले तथा प्रदूषणरोधी हों।

(I-अ) उद्योगों, परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई:-

उद्योगों, परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई।

उद्योग का वर्ग	उद्योग की श्रेणी	न्यूनतम ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई
लाल	वृहद्	200 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	मध्यम	100 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	लघु	30 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
नारंगी	वृहद्	100 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	मध्यम/लघु	20 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
हरा	समस्त उद्योग	10 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
अन्य परियोजनाएं		
औद्योगिक क्षेत्र		500 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
लैंड फिल साइट		200 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
टी0एस0डी0एफ0		200 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)

औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का मॉडल।

(I-ब) औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का मॉडल :-

- वृक्षों का अंतराल — 3 मीटर X 3 मीटर
- वृक्षों का रोपण पैटर्न — स्टैगर्ड (Staggered) पंक्ति
- वृक्ष पंक्तियों के अंतराल में छोटे वृक्ष/झाड़ियों का रोपण का अंतराल — 1 मीटर X 1 मीटर

मुख्य प्रदूषणकारक के आधार पर रोपण हेतु वृक्ष, झाड़ी, घास की प्रजातियां

(I-स) मुख्य प्रदूषणकारक के आधार पर रोपण हेतु वृक्ष, झाड़ी, घास की प्रजातियां :-

मुख्य प्रदूषणकारक	वृक्ष प्रजातियाँ	झाड़ी प्रजातियाँ	घास प्रजातियाँ
पार्टिकुलेट मैटर	कैसिया सेमिया, सिरस, चितवन, कदम्ब, नीम, अमलतास, शीशम, महुआ, फाईकस	कढ़ी पत्ता, क्रोटन, टेकोमा, केसिया ग्लूका, ढाक	बीयर्ड ग्रास, ब्लूस्टेम, बफैलो ग्रास, अंजन, बर्डवुड ग्रास, दूर्वा ग्रास (बर्मूडा ग्रास), गुरिया ग्रास
सल्फर आक्साइड्स	सिरस, अरुं, चितवन, कदम्ब, नीम, बांस, महुली, सेमल, महुआ, इमली, फाईकस	आंवला, ढाक, सुबबूल, लैन्टाना	बीयर्ड ग्रास, ब्लूस्टेम, बफैलो ग्रास, अंजन, बर्डवुड ग्रास, दूर्वा ग्रास (बर्मूडा ग्रास), गुरिया ग्रास
नाइट्रोजन आक्साइड्स	चिलबिल, आम, सिरस, महुआ, जामुन, नीम, शीशम	महुली, सुबबूल, ढाक, लैन्टाना	बीयर्ड ग्रास, ब्लूस्टेम, बफैलो ग्रास, अंजन, बर्डवुड ग्रास, दूर्वा ग्रास (बर्मूडा ग्रास), गुरिया ग्रास

ग्रीन बेल्ट हेतु मानक शर्तें।

(I-द) ग्रीन बेल्ट हेतु मानक शर्तें :-

- (1) ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र औद्योगिक परिसर के क्षेत्र (जिसमें रिहायशी क्षेत्र आदि भी सम्मिलित हैं) का कम से कम 33 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य है।
- (2) ग्रीन बेल्ट के वृक्षों के पालन (मृत हो जाने की स्थिति में आगामी वर्षाकाल में उचित प्रजाति के कम से कम 8 फीट ऊँचे पौधे रोपित किये जाये)।
- (3) ग्रीन बेल्ट की स्थापना हेतु कम से कम 8 फीट ऊँचे पौधों का रोपण किया जाये।
- (4) ग्रीन बेल्ट की ताड़-बाड़ इत्यादि से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (5) ग्रीन बेल्ट में रोपित पौधों की सिंचाई व खाद इत्यादि किये जाने की व्यवस्था रखी जाये।

(6) उद्योग के शोधित उत्प्रावह का उपयोग ग्रीन बेल्ट की सिंचाई हेतु किया जाये।

(II) सामुदायिक भूमि पर ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण

सामुदायिक भूमि पर
ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण।

50 एकड़/100 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु शासनादेश संख्या-752/31-2013- 20/2012 टी0सी0 दिनांक 22-04-2013 द्वारा निर्देश जारी किए गये हैं। उक्त वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट माडल के आधार पर किया जायेगा। उक्त में रोपित किए जाने वाले पौधों की ऊंचाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी तथा सुरक्षा एवं सुरक्षा खर्च, पत्थर दीवाल आर0सी0सी0 खम्भे व कांटेदार ताड़-बाड़ किया जायेगा।

रोपण हेतु 60 से0मी0 X 60 से0मी0 X 60 से0मी0 गड्ढे का खुदान माह-फरवरी तक पूर्ण किया जायेगा। पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 मीटर X 4 मीटर रखी जायेगी। माह जून में गड्ढा भरान के समय उचित मात्रा में जैविक खाद मिला कर गड्ढा भरान किया जाये। उक्त वृक्षारोपण हेतु यथा सम्भव ऊसर, पथरीली, कम मृदा वाले क्षेत्रों का चयन न किया जाये, उन्हीं क्षेत्रों का चयन किया जाये जहां मृदा की गहराई कम से कम 1.5 मीटर हो तथा जड़ों का विकास सम्भव हो।

(II-अ) क्षेत्र आधारित वृक्षों की प्रजातियां:-

क्षेत्र आधारित वृक्षों की
प्रजातियां।

क्षेत्र	वृक्ष की प्रजातियाँ
ऊसर क्षेत्र	बबूल, सुबबूल, कंजी, सिरस, अर्जुन, ढाक, शीशम, आंवला, जंगल जलेबी, बेर, अकेसिया औरिकुलोफॉर्मिस, कैजूराइना, प्रोसोपिस।
बीहड़ क्षेत्र	शीशम, नीम, आंवला, सिरस, बांस, कंजी, महुआ, बेल, सहजन, पापड़ी।
खादर-खोला क्षेत्र	शीशम, अर्जुन, कठसागौन, कैजूरीना, बकैन, जामुन, खैर, विलायती बबूल, कालासिरस, सुबबूल, सहजन।
विन्ध्य क्षेत्र	महुआ, सिरस, बेल, जामुन, बहेड़ा, आंवला, इमली, पीपल, बरगद, चिलबिल, कैथा, रीठा, अकेसिया औरिकुलोफॉर्मिस, कैसिया स्यामिया, सहजन।
तराई एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र	शीशम, सागौन, सिरस, खैर, अर्जुन, जामुन, सहजन।

अबैन्डन्ड सैनिटरी
लैण्डफिल साइट्स
(Abandoned
Sanitary
Landfill Sites)
पर वृक्षारोपण।

(III) अबैन्डन्ड सैनिटरी लैण्डफिल साइट्स (Abandoned Sanitary Landfill Sites) पर वृक्षारोपण

1. अन्तिम कवर 60 सेन्टीमीटर क्ले अथवा मिट्टी जिसका परमीयबिलिटी कोफिशिएंट 1×10^{-7} सेन्टीमीटर/सेकेण्ड से कम हो, द्वारा किया जाए।
2. अन्तिम कवर के ऊपर 15 सेन्टीमीटर ड्रेनेज लेयर रखी जाए।

3. ड्रेनेज लेयर के ऊपर 45 सेन्टीमीटर वेजिटेटिव लेयर रखी जाए।
4. अबैन्डन्ड साइट्स के चारो दिशाओं में न्यूनतम 200 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाए। वृक्षों का अन्तराल 3 मीटर X 3 मीटर रखा जाए तथा वृक्षों का रोपड़ स्टैगर्ड पंक्ति में किया जाए।
5. वृक्ष पंक्तियों के अंतराल में छोटे वृक्ष/झाड़ियों का रोपण का अंतराल 1 मीटर X 1 मीटर रखा जाय।

(III-अ) क्षेत्र आधारित वृक्षों की प्रजातियाँ:-

क्षेत्र	वृक्ष की प्रजातियाँ
ऊसर क्षेत्र	बबूल, सुबबूल, कंजी, सिरस, अर्जुन, ढाक, शीशम, आंवला, जंगल जलेबी, बेर, अकेसिया, कैजूराइना, प्रोसोपिस
बीहड़ क्षेत्र	शीशम, नीम, आंवला, सिरस, बांस, कंजी, महुआ, बेल, सहजन, पापड़ी।
खादर-खोला क्षेत्र	शीशम, अर्जुन, कटसागौन, कैजूरीना, बकैन, जामुन, खैर, विलायती बबूल, कालासिरस, सुबबूल।
विन्ध्य क्षेत्र	महुआ, सिरस, बेल, जामुन, बहेड़ा, आंवला, इमली, पीपल, बरगद, चिलबिल, कैथा, रीठा।
तराई एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र	शीशम, सागौन, सिरस, खैर, अर्जुन, जामुन।

(III-ब) वृक्षों की पंक्तियों के मध्य में छोटी झाड़ियों का रोपण किया जायेगा।

झाड़ी प्रजातियाँ

कढ़ी पत्ता, क्रोटन, टेकोमा, केसिया ग्लूका, ढाक, आंवला, ढाक, सुबबूल, लैन्टाना, महुली, सुबबूल, ढाक, लैन्टाना, देशी मेंहदी।

(IV) परित्यक्त खदानों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कर ग्रीन बेल्ट का विकास

प्रदेश में अनेक जनपदों में विशेषकर पत्थर की खदानों के परित्यक्त क्षेत्र उपलब्ध हैं जिनका पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में खनन किये गये निचले क्षेत्र के साथ साथ अत्यधिक ढलान वाली भूमि उपलब्ध होती है जिस पर सामान्य तौर पर वृक्षारोपण किया जाना सम्भव नहीं होता है। कोल एवं लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में फ्लाइ एश के निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में परित्यक्त खदानों के पुनरुद्धार हेतु कोल एवं लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाइ एश का भरण कर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जा सकता है जिससे एक ओर तो परित्यक्त

खदानों का पुनरुद्धार होगा, वहीं दूसरी ओर फलाई ऐश के निस्तारण की समस्या का समाधान भी हो सकेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-09-1999 एवं 25-01-2016 को अधिसूचना निर्गत कर फलाई ऐश, बॉटम ऐश या पाण्ड ऐश के प्रयोग के संबंध में गाईडलाईन निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत परित्यक्त खदानों के फलाई ऐश के द्वारा पुनरुद्धार हेतु भारतीय मानक ब्यूरो एवं भारतीय खान ब्यूरो की गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इस गाईडलाईन में तापीय विद्युत संयंत्रों से 100 किमी० की परिधि में सड़क निर्माण की परियोजनाओं अथवा भूमि सुधार हेतु आवश्यक फलाई ऐश का परिवहन का शत-प्रतिशत व्यय तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य किया गया है। परित्यक्त खदानों की भूमि का पुनरुद्धार एवं वृक्षारोपण वहाँ की मृदा के सुधार हेतु अत्यन्त आवश्यक है। अतः तापीय विद्युत संयंत्रों के समीप स्थित परित्यक्त खदानों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किये जाने का कार्य तापीय विद्युत संयंत्रों, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं सिविल सोसाईटी के मध्य एक त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन के आधार पर किया जा सकता है।

(IV-अ) परित्यक्त खदानों के पुनरुद्धार की कार्य विधि

1. परित्यक्त खदानों के निचले क्षेत्रों को फलाई ऐश स्लरी से भरान किया जाये ताकि फलाई ऐश उचित प्रकार से बैठ जाये।
2. फलाई ऐश के भरान से समतलीकरण के उपरान्त लगभग 8-10 इंच मोटी मृदा की पर्त बिछाई जाये ताकि फलाई ऐश का विसरण रूक सके।
3. समतल क्षेत्र में 2मीटर X 2.5मीटर के अन्तराल में 60सेमी X 60सेमी X 60सेमी आकार के गड्ढे खोदे जायें तथा उनका जैविक खाद इत्यादि मिलाकर भरान किया जाये।
4. वर्षाकाल में इन गड्ढों में उचित प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाये।
5. रोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु परिधि पर कम से कम 05 लड़ी की तारबाड़ लगाई जाये तथा पौधों की सिंचाई हेतु बोरिंग या टैंकर इत्यादि के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
6. पौधों की पंक्तियों के मध्य उचित प्रजातियों की घास का रोपण किया जायेगा ताकि फलाई ऐश अनावृत न हो सके।
7. वृक्षारोपण में अधिकतम 04 फिट ऊँचाई की पौध रोपित की जाये।

(IV-ब) वृक्षारोपण हेतु वृक्षों एवं घास की प्रजातियाँ

वृक्ष—बबूल, जंगल जलेबी, शीशम, सिरस, अकेसिया ऑरिक्लोफार्मिस, बेर, पेल्टोफोरम फ़ैरोजीनियम, कन्जी, अमलताश आदि।

घास—बीयर्ड ग्रास/ब्लूस्टेम (Bothriochloa pertusa), बफैलो ग्रास (Brachiaria mutica), मोरधन (Echinochloa colona), बर्डवुड ग्रास (Cenchrus setiger), दूर्वा ग्रास/बर्मूडा ग्रास (Cynodon dactylon), गुरिया ग्रास (Chrysopogon fulvus)।

Handwritten signature



Annexure R2/4

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

215952/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/LUCKNOW/2024

Date: 30/07/2024

To,

M/s

Omaxe City of M/s Omaxe Limited

village - Aurangabad Khalsa, Aurangabad Jangir, Tehsil - Sarojani
Nagar, Distt - Lucknow,LUCKNOW,226025

Application Id-
27303095

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **Omaxe City of M/s Omaxe Limited** located at **village - Aurangabad Khalsa, Aurangabad Jangir, Tehsil - Sarojani Nagar, Distt - Lucknow,LUCKNOW,226025**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA Omaxe City of M/s Omaxe Limited **granted for the period from 30/07/2024 to 31/12/2027** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
------	---------	----------	------

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1005.54 KLD	STP	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	6.5 to 9
2	BOD (mg/L)	20 mg/l
3	Fecal Coliform (MPN/100ml)	1000
4	TSS (mg/L)	100 mg/l

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dg sets of 125 KVA	Diesel	1	Particulate Matter	2.2 meter above the roof of nearest building

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per E(P) Rules 1986

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and

Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This Consent to Operate is valid for operation of STP of 2200 KLD capacity for the treatment of sewage 1005.54 KLD and operation of DG set of 125 KVA in the housing society of M/s Omaxe City of M/s Omaxe Limited, village -Aurangabad Khalsa, Aurangabad Jangir, Tehsil -Sarojani Nagar, Distt -Lucknow.

2. The unit shall deposit Environmental Compensation of Rs. 14,25,000/ (Rs Fourteen lakh Twenty Five Thousand Only) imposed against the unit imposed by UPPCB vide letter dated 29.07.2024 within 15 days
3. Unit shall operate and maintain the STP and treated effluent shall always meet the norms for STPs as prescribed in the Environment (Protection) Rules 1986.
4. Electromagnetic flow meter shall be installed at water source (Tube well) and outlet of STP and shall maintain the records.
5. DG set of 125 KVA shall always be equipped with canopy and stack height of 2.2 meter above from the roof of nearest building.
6. Operation of Air pollution control system and operation of the unit must ensure protection of ambient air of the area.
7. Unit shall comply the provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
8. Unit shall comply the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and Environment (Protection) Act 1986, and direction issued by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
9. Unit shall comply the provisions of Solid waste Management Rules 2016, and shall ensure safe disposal of solid waste generated.
10. Unit shall develop Green Belt in minimum 33 percent area of Industrial Premises as per the provisions laid down in office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 of U.P. Pollution Control Board. The copy of said office order is available on the website of U.P. Pollution Control Board www.uppcb.com.
11. This Consent order shall automatically become invalid on issuance of Closure Order by C.P.C.B / UPPCB and further on Revoking of Closure order, the Consent order shall become valid.

Vivek Roy
Digitally signed by Vivek Roy
Date: 2024.08.04 01:22:29 +05'30'
Chief Environment Officer

Copy to:

Regional Officer Lucknow to ensure the compliance of the conditions imposed in the consent order

Vivek Roy
Digitally signed by Vivek Roy
Date: 2024.08.04 01:22:53 +05'30'
Chief Environment Officer



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्थाकीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

H17259

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-2
सं० 183/55-2-2018/09 (रि०)/2016

15-3-18

लखनऊ :: दिनांक :: 13.3.2018
कार्यालय झाप

विषय- औद्योगिक इकाईयों द्वारा जनित प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के संबंध में।

प्रदेश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक एवं मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश :

प्रदेश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक औद्योगिक इकाईयों, वाहनों से जनित उत्सर्जन में प्रदूषणकारी गैसों, भवन निर्माण परियोजनाएं एवं विकास सम्बन्धी निर्माण गतिविधियों से जनित धूल के कण इत्यादि हैं। मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-21/2014, वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दि०-04.12.2014 में "Polluter Pays" के सिद्धांत के तहत प्रदूषणकारी उद्योगों, संस्थाओं इत्यादि से प्रदूषण के संबंध में प्रतिकर का भुगतान अधिरोपित कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

कार्बन फुटप्रिंट का अभिप्राय एवं "जीरो कार्बन फुटप्रिंट" की आवश्यकता :

औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन की प्रक्रिया, भवन निर्माण परियोजनाएं एवं विकास सम्बन्धी निर्माण गतिविधियों से कार्बन अथवा ग्रीनहाउस गैसों का भी उत्सर्जन होता है, जिससे वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत औद्योगिक इकाईयों, भवन निर्माण परियोजनाएं एवं विकास सम्बन्धी निर्माण गतिविधियों द्वारा प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन में कमी कर " जीरो कार्बन फुटप्रिंट " की दिशा में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

कार्बन फुटप्रिंट का तात्पर्य किसी एक संस्था, व्यक्ति, उद्योग या उत्पाद द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ कार्बन डाईऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है। कार्बन फुटप्रिंट का

नाम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विमर्श से निकला है। यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक अंश है। किसी व्यक्ति, संस्था, उद्योग या उत्पाद के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का वातावरण में निकास जीवाश्म ईंधन, कच्चे तेल और कोयले के जलने से होता है।

कार्बन उत्सर्जन में कमी एवं कार्बन ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध तकनीक :

ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने के कई विकल्प हैं जैसे सौर, पवन ऊर्जा के अधिक इस्तेमाल, बायो फ्यूल के अधिकाधिक प्रयोग, विद्युत खपत में मितव्ययिता तथा क्लीन टेक्नालॉजी का प्रयोग। पौधा रोपण से वायुमंडल की ऑक्सीजन को अवशोषित किया जा सकता है। उद्योगों एवं निर्माण गतिविधियों द्वारा क्लीन टेक्नालॉजी एवं बायो फ्यूल का उपयोग कर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण द्वारा कार्बन ऑफसेटिंग कर जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में कार्यवाही की जा सकती है।

जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना आवश्यक है। "कोपेनहेगन क्लाइमेट कांफ्रेंस" से ठीक पहले भारत अपनी ऊर्जा सघनता में कमी करने का निर्णय ले चुका है। कार्बन ऑफसेटिंग एवं ट्रेडिंग द्वारा विश्व के कई देश इस विकल्प को अपना रहे हैं। उद्योगों द्वारा कार्बन ऑफसेटिंग मुख्य रूप से निम्न प्रकार से की जा सकती है—

(अ)—वनीकरण के माध्यम से कार्बन ऑफसेटिंग—

यू0एन0ई0पी0 के प्रोटोकॉल के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं, क्षेत्र विकास परियोजनाओं के पास कार्बन ऑफसेटिंग हेतु अन्य विकल्प हैं जैसे वनीकरण, ग्रीन एवं स्वच्छ तकनीकें आदि। यदि कोई औद्योगिक इकाई, भवन निर्माण परियोजना, क्षेत्र विकास परियोजना सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रही है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसके पास एक विकल्प वनीकरण का भी है। वह अपने प्रदेश में कहीं भी वनीकरण कर सकती है। यह वनीकरण उतना होना चाहिए जिससे कि औद्योगिक इकाई से निस्सरित कार्बन का

3

समतुल्य कार्बन वनीकरण में अवशोषित हो सके। इस संबंध में प्रदूषणकारी उद्योगों, भवन निर्माण परियोजना आदि द्वारा अपने परिसर, लैंडफिल साइट्स अथवा सामुदायिक भूमि को अंगीकृत करते हुए अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कर कार्बन ऑफ सेटिंग की जाय। इस प्रकार किये गये वृक्षारोपण के आधार पर संस्था द्वारा "कार्बन क्रेडिट" भी प्राप्त किये जा सकते हैं। उद्योगों, भवन निर्माण परियोजना आदि द्वारा औद्योगिक परिसर परित्याग की गयी लैंडफिल साइट्स, परित्याग की गई खदानों अथवा सामुदायिक भूमि पर अनिवार्य रूप से किये जाने वाले वृक्षारोपण के संबंध में शासनादेश सं० 11/35-2-2018/116 दिनांक 28.02.18 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जो संलग्नक के रूप में संलग्न है।

सेनेटरी लैंडफिल साइट्स एवं परित्याग की गयी लैंडफिल साइट्स में ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु विभागवार दायित्व :

क्र० सं०	विभाग का नाम	दायित्व
1.	नगर विकास तथा आवास एवं शहरी नियोजन	नगर विकास तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० द्वारा नगर निगमों एवं विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत वर्तमान सेनेटरी लैंडफिल साइट्स एवं परित्याग की गयी लैंडफिल साइट्स की सूची संबंधित जिलाधिकारियों एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
2.	पर्यावरण विभाग, सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी	पर्यावरण विभाग एवं संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा उक्त लैंडफिल साइट्स को राज्य/मण्डल/जिला स्तरीय उद्योग बन्धु को उपलब्ध कराया जाएगा। मण्डलायुक्तों द्वारा उक्त कार्य का अनुश्रवण नियमित बैठकों के माध्यम से किया जाएगा।

3.	उद्योग बन्धु	उद्योग बन्धु द्वारा रोपण हेतु औद्योगिक इकाइयों, भवन निर्माण परियोजनाओं आदि को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करवाकर उक्त स्थल पर ग्रीन बेल्ट इत्यादि का विकास कराया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों के साथ सम्पर्क कर कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर वृक्षारोपण के विकास हेतु कार्य कराए जाएंगे।
----	--------------	--

पत्थर की खदानों के परित्यक्त क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु विभागवार दायित्व :

प्रदेश में अनेक जनपदों में विशेषकर पत्थर की खदानों के परित्यक्त क्षेत्र उपलब्ध जिनका पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में खनन किये गए निचले क्षेत्र के साथ साथ अत्यधिक ढलान वाली भूमि उपलब्ध होती है जिस पर सामान्य तौर पर वृक्षारोपण किया जाना सम्भव नहीं होता है। कोल एवं लिग्नाई आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में फ्लाइ एश के एश ड्राईक के माध्यम से निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता की समस्या होती है तथा ऐसा देखा गया है कि तापीय विद्युत संयंत्रों के पास फ्लाइ एश के निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में परित्यक्त खदानों के पुनरुद्धार हेतु कोल एवं लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्पादित फ्लाइ एश का भरण कर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जा सकता है जिससे एक ओर तो परित्यक्त खदानों का पुनरुद्धार होगा, व दूसरी ओर फ्लाइ एश के निस्तारण की समस्या का समाधान भी हो सकेगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-09-1999 एवं 25-01-2016 को अधिसूचना निर्गत कर फ्लाइ एश, बॉटम एश पाण्ड एश के प्रयोग के संबंध में गाईडलाईन निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत परित्यक्त खदानों के फ्लाइ एश के द्वारा पुनरुद्धार हेतु भारतीय मानक ब्यूरो ।

भारतीय खान ब्यूरो की गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इस गाईडलाईन में तापीय विद्युत संयंत्रों से 100 किमी० की परिधि में सड़क निर्माण की परियोजनाओं अथवा भूमि सुधार हेतु आवश्यक फ्लाई ऐश का परिवहन का शत-प्रतिशत व्यय तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य किया गया है। परित्यक्त खदानों की भूमि का पुनरुद्धार एवं वृक्षारोपण वहाँ की मृदा के सुधार हेतु अत्यन्त आवश्यक है।

अतः तापीय विद्युत संयंत्रों के समीप स्थित परित्यक्त खदानों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किये जाने का कार्य तापीय विद्युत संयंत्रों, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं सिविल सोसाईटी के मध्य एक त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन के आधार पर किया जा सकता है जिस हेतु विभागवार दायित्व निम्नवत् है—

क्र० सं०	विभाग का नाम	दायित्व
1.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	परित्याग की गई खदानों की सूचना पर्यावरण विभाग एवं सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
2.	पर्यावरण विभाग, संबंधित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी	परित्यक्त खदानों की भूमि की सूची पुनर्वास एवं पुनरुद्धार हेतु राज्य/मण्डल/जिला स्तरीय उद्योग बन्धु को उपलब्ध कराया जाएगा। मण्डलायुक्तों द्वारा उक्त कार्य का अनुश्रवण नियमित बैठकों के माध्यम से किया जाएगा।
3.	सम्बन्धित मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं राज्य/मण्डल/जिला स्तरीय उद्योग बन्धु	जिलाधिकारियों द्वारा परित्यक्त खदानों की भूमि को पुनर्वास एवं पुनरुद्धार हेतु राज्य/मण्डल/जिला स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से तापीय विद्युत

	परियोजनाओं को अनिवार्य रूप अंगीकृत कराया जायेगा ताकि उनके द्वारा परित्यक्त खदानों में फलाई ऐश का भरण कर उस पर ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण का विकास किया जा सके। मण्डलायुक्तों द्वारा उक्त कार्य का अनुश्रवण नियमित बैठकों के माध्यम से किया जाएगा।
--	---

ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं जिनके पास वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है :

ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं, जिनके पास वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, को जिलाधिकारियों द्वारा जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से चिन्हित किया जायेगा। इन उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं को सामुदायिक भूमि पर अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं, जिनके पास वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, में वृक्षारोपण किये जाने हेतु निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किये जाते हैं-

क्र०सं०	विभाग का नाम	दायित्व
1.	मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं जिला उद्योग बन्धु	जिलाधिकारियों द्वारा जिला एवं मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं, जिनके पास वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, को चिन्हित किया जायेगा एवं इन उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं को सामुदायिक भूमि पर

		अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों/भवन निर्माण परियोजनाओं के साथ सम्पर्क कर कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सी0एस0आर0) के अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर वृक्षारोपण के विकास हेतु कार्य कराए जाएंगे। मण्डलायुक्तों द्वारा उक्त कार्य का अनुश्रवण नियमित बैठकों के माध्यम से किया जाएगा।
2.	विकास प्राधिकरण/नगर निगम/ग्राम पंचायत	ऐसे प्रदूषणकारी उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं, जिनके पास वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, को वृक्षारोपण किये जाने हेतु सामुदायिक भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।
3.	सिविल सोसाईटी/संस्थानों/गैर सरकारी संगठन	सिविल सोसाईटी, संस्थानों, एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वृक्षारोपण का विकास एवं अनुरक्षण किया जायेगा। इस प्रकार के वृक्षारोपणों की समुचित सुरक्षा हेतु तारबाड़, ट्री गार्ड इत्यादि भी लगाया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये दायित्वों के निर्वहन एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु उद्योग, विकास प्राधिकरण/नगर निगम/ग्राम पंचायत एवं सिविल सोसाईटी द्वारा त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन के आधार पर वृक्षारोपण कराया जाएगा। सामुदायिक भूमि पर रोपण विकसित करने एवं उसका अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व अंगीकृत करने वाले संबंधित उद्योग या भवन निर्माण परियोजना का होगा। उद्योग द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर वृक्षारोपण का वित्त पोषण किया

जायेगा। लैंडफिल साइट्स को अंगीकृत करने वाले उद्योग या परियोजना द्वारा रोपण को सफल बनाने के उद्देश्य से अनुभवी सिविल सोसाईटी अथवा अन्य संस्थाओं को रोपण कार्य हेतु भुगतान के आधार पर लगाया जा सकता है।

(ब)-बायो फ्यूल/बायो कोल के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी -

बायो ईंधन वह ईंधन है, जोकि वृक्षों अथवा बायोमास से तैयार किये जाते हैं, जिसमें बायो कोल/बायो कोल ब्रिकेट एवं बायो सी0एन0जी0 इत्यादि सम्मिलित हैं। उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किये जाने से अतिरिक्त कार्बन अथवा ग्रीनहाउस गैसों वातावरण में उत्सर्जित होती हैं जबकि बायो फ्यूल के प्रयोग से वातावरण की कार्बन डाई ऑक्साइड में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी नहीं होती है। उक्त के दृष्टिगत उद्योगों में बायो फ्यूल का प्रयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी की जा सकती है।

बायो फ्यूल के प्रयोग से एक ओर जहाँ कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम भी होगी वहीं दूसरी ओर हानिकारक वनस्पतियों जैसे-लैण्टाना आदि का समुचित उपयोग भी हो सकेगा जोकि प्राकृतिक वनक्षेत्रों में लैण्टाना के उन्मूलन में भी सहायक सिद्ध होगा। बायो फ्यूल के उद्योगों में उपयोग से समुदाय आधारित बायो कोल/ब्रिकेट का उत्पादन करने वाले उद्योगों को मार्केट लिंकेज प्राप्त होगा जोकि समुदाय की आय को बढ़ाये जाने हेतु एक सकारात्मक पहल होगी।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 904(1)/18-2-39(पर्या)/2014टी0सी0 दिनांक 08.01.2018 द्वारा उद्योगों में स्थापित ब्वायलर इत्यादि में ईंधन स्वरूप कम से कम 20 प्रतिशत बायो कोल/ब्रिकेट की उपलब्धता के आधार पर उपयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 द्वारा संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के माध्यम से लैण्टाना एवं अन्य हानिकारक वनस्पतियों के वन क्षेत्र से उन्मूलन एवं उनका बायो कोल उद्योगों को आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा उक्त कार्य को संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के माध्यम से किये जाने हेतु प्रक्रिया के निर्धारण हेतु भी यथा आवश्यक शासनादेश पृथक से

१

निर्गत किया जायेगा। बायो कोल/ब्रिकेट प्लांट्स द्वारा कृषि अपशिष्ट को भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि अपशिष्ट का उपयोग 'वेस्ट-टू-वेल्थ' (अपशिष्ट को धन) सिद्धांत पर किए जाने के संबंध में जागरूक किया जाएगा तथा इस हेतु मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

(स) - क्लीन टेक्नालाजी व ऊर्जा दक्षता के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी -

उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं द्वारा गैर पारम्परिक एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी बिजली की आवश्यकता की अधिकाधिक पूर्ति कर कार्बन उत्सर्जन में कमी की जा सकती है। उद्योगों, भवन निर्माण परियोजनाओं द्वारा तकनीकी उच्चिकरण एवं उन्नत उपकरण इत्यादि लगाकर विद्युत की खपत में कमी कर तथा ग्रीन बिल्डिंग इत्यादि के सिद्धांत के आधार पर निर्माण कर भी कार्बन उत्सर्जन में कमी की जा सकती है। उक्त कार्यवाही से एक ओर संचालन लागत में कमी आयेगी वहीं दूसरी ओर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी भी की जा सकेगी। उपरोक्त कार्यवाही से उद्योग द्वारा जो भी कार्बन उत्सर्जन में कमी की जाती है उसके आधार पर कार्बन क्रेडिट तैयार कर उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडिंग की जा सकती है।

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त पहल के संबंध में औद्योगिक इकाईयों, भवन निर्माण परियोजनाओं को प्रशिक्षण/कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया जायेगा ताकि अधिकाधिक संस्थाओं द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में कदम उठाये जा सकें।

औद्योगिक इकाईयों, भवन निर्माण परियोजनाओं द्वारा उपरोक्तानुसार कार्बन उत्सर्जन में कमी से संबंधित कार्यवाही हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में कमी से संबंधित सी०डी०एम० परियोजनाएँ (Clean Development Mechanism Projects) तथा वृक्षारोपण के द्वारा कार्बन ऑफसेटिंग से संबंधित ए०आर०सी०डी०एम० परियोजनाएँ (Aforestation Reforestation Clean Development Mechanism Projects) निरूपित कर निर्धारित

प्रक्रियानुसार भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन संरक्षण सम्मेलन (UNFCCC) से पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर इन इकाईयों को कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रमाणित अंश (सी0ई0आर0) प्राप्त हो सकते हैं, जिसके आधार पर उनके द्वारा कार्बन ट्रेडिंग भी की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल सी0डी0एम0 अथॉरिटी की वेबसाइट <http://ncdmaindia.gov.in/> एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन संरक्षण सम्मेलन की वेबसाइट <http://cdm.unfccc.int/> के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक इकाईयों, भवन निर्माण परियोजनाओं, क्षेत्र विकास परियोजनाओं से जनित प्रदूषण, एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी हेतु उपरोक्त आधार पर राज्य/मण्डल/जिला स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से कराने का कष्ट करें ताकि प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु एक दीर्घकालीन सार्थक योजना उक्तानुसार क्रियान्वित हो सके।

संलग्नक:—यथोपरि।

राजीव कुमार
मुख्य सचिव

संख्या: 183/55-2-2018-9 (वि) तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित:—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि, नगर विकास, वन एवं वन्यजीव, पंचायती राज, ऊर्जा, राजस्व, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा अथारिटी।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

१८

7. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
10. समस्त नगरायुक्त, उ०प्र०।
11. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
13. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को स्वच्छता प्राप्त स्वस्थ भवने स्वरूप
समस्त सचिवों को प्रेषित निदेश
14. समस्त औद्योगिक एवं निर्माण संगठन, उ०प्र०। छेड़।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(रेणुका कुमार)

प्रमुख सचिव

1/2

11/11/11

संख्या- 7/55-2-2018/09(रिट)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

पर्यावरण अनुभाग-2

लाखनऊ, दिनांक: 26 फरवरी, 2018

विषय:- वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग हेतु ग्रीन बेल्ट का विकास।

महोदय,

प्रदेश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक औद्योगिक इकाइयों तथा वाहनों से जनित उत्सर्जन में प्रदूषणकारी गैसों, भवन निर्माण परियोजनाओं एवं विकास सम्बन्धी निर्माण गतिविधियों से जनित धूल के कण इत्यादि हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-21/2014, वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दि0-04.12.2014 में "Polluter Pays"के सिद्धांत के तहत प्रदूषणकारी उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं इत्यादि से प्रदूषण के संबंध में प्रतिकर का भुगतान अधिरोपित कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया से एवं निर्माण परियोजनाओं से कार्बन एवं ग्रीनहाउस गैसों का भी उत्सर्जन होता है, जिससे वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत औद्योगिक इकाइयों एवं निर्माण परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण में कमी एवं वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेटिंग किया जाना उनका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास एवं औद्योगिक परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु अनेक निर्णय लिये गये हैं तथा पर्यावरण संघात निर्धारण गाइडलाइन के द्वारा उद्योगों एवं निर्माण परियोजनाओं द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य किया गया है। परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि वृक्षारोपण प्रभावी तरीके से नहीं किये जा रहे हैं। वृक्षारोपण अथवा ग्रीन बेल्ट में उचित प्रजातियों का रोपण किये जाने से एक ओर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर वायुमंडल की कार्बन-डाई-आक्साइड के अवशोषित होने से "कार्बन ऑफसेटिंग" भी प्राप्त होती है।

उक्त के दृष्टिगत पर्यावरण विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं निर्माण एजेन्सियों द्वारा औद्योगिक भूखण्ड, सामुदायिक भूमि, परित्यक्त ज़रानों की भूमि व सेनेटरी लैंडफिल साइट्स पर किये जाने वाले ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण के प्रोटोकाल बनाये गये हैं जिनकी छायाप्रति संलग्न हैं। ग्रीन बेल्ट, सामुदायिक भूमि अथवा लैंडफिल साइट्स पर वृक्षारोपण संलग्न प्रोटोकॉल के आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाय ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कार्बन ऑफसेटिंग प्रभावी तरीके से की जा सके। इस प्रकार विकसित हरित पट्टिका की सतत् देखरेख, सुरक्षा, अनुरक्षण एवं अतिक्रमण से

मुक्त रखने का दायित्व हरित पट्टिका को वित्त पोषित कर विकसित करने वाले उद्योग इकाई पर होगा। यदि औद्योगिक इकाई के विस्तार या अन्य प्रयोजन हेतु हरित पट्टिका की भूमि की आवश्यकता समझी जाती है, तब उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से उपयुक्त स्थल पर समतुल्य या अधिक क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित कराया जाना अनिवार्य होगा। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त प्रोटोकॉल के आधार पर ही ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण किये जाने की शर्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति प्रदान करते समय अनिवार्य रूप से लगायी जा रही है, जिसका अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न प्रोटोकाल के आधार पर ग्रीन बेल्ट के विकास संबंधी कार्यों का उद्योग बन्धु की बैठकों के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा इसकी प्रगति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।


(रिणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या: 71/55-2-2018/09(रिट)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि जिलास्तरीय एवं मण्डलस्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से उद्योगों में ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु उक्त प्रोटोकाल के अनुपालन का नियमित अनुश्रवण कराने की कृपा करें।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि, नगर विकास, वन एवं वन्य जीव, पंचायती राज, ऊर्जा, भूतत्व एवं खनिकर्म, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा अथारिटी।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
6. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
8. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. राज्य समन्वयक एवं सदस्य संयोजक, उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव

11

ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु प्रोटोकाल

औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का रोपण।

(I) औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का रोपण :-

- (1) परिपक्वता पर 8-10 मीटर- ऊँचे वृक्ष प्रदूषण स्रोत के चारों ओर रोपित किये जाये।
- (2) बहुपंक्ति रोपण में वृक्षों का स्टैगर्ड (Staggered) रोपण किया जाये।
- (3) पंक्तियों के बीच में छोटी झाड़ियों का रोपण किया जाये जिससे तने के बीच का अंतराल ढक सके।
- (4) खुले क्षेत्र, जहाँ रोपण संभव न हो, वहाँ ग्रास लैंड/श्रब्स (Grass/Shrubs) का विकास किया जाये।
- (5) प्रजातियों का चयन इस प्रकार हो कि वृक्ष सदाबहार बड़े छत्र वाले तथा प्रदूषणरोधी हों।

(I-अ) उद्योगों, परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई:-

उद्योगों, परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई।

उद्योग का वर्ग	उद्योग की श्रेणी	न्यूनतम ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई
लाल	वृहद्	200 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	मध्यम	100 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	लघु	30 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
नारंगी	वृहद्	100 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	मध्यम/लघु	20 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
हरा	समस्त उद्योग	10 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
अन्य परियोजनाएं		
	औद्योगिक क्षेत्र	500 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	लैंड फिल साइट	200 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)
	टी0एस0डी0एफ0	200 मीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत (जो न्यूनतम हो)

(I-ब) औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का मॉडल :-

औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का मॉडल।

- वृक्षों का अंतराल - 3 मीटर x 3 मीटर
- वृक्षों का रोपण पैटर्न - स्टैगर्ड (Staggered) पंक्ति
- वृक्ष पंक्तियों के अंतराल में छोटे - 1 मीटर x 1 मीटर वृक्ष/झाड़ियों का रोपण का अंतराल

(I-स) मुख्य प्रदूषणकारक के आधार पर रोपण हेतु वृक्ष, झाड़ी, घास की प्रजातियां :-

मुख्य प्रदूषणकारक के आधार पर रोपण हेतु वृक्ष, झाड़ी, घास की प्रजातियां

मुख्य प्रदूषणकारक	वृक्ष प्रजातियाँ	झाड़ी प्रजातियाँ	घास प्रजातियाँ
पार्टिकुलेट मैटर	कैसिया सेमिया, सिरस, चितवन, कदम्ब, नीम, अमलतास, शीशम, महुआ, फाईकस	कढ़ी पत्ता, क्रोटन, टेकोमा, केसिया ग्लूका, ढाक	बीयर्ड ग्रास, ब्लूस्टेम, बफैलो ग्रास, अंजन, बर्डवुड ग्रास, दूर्वा ग्रास (बर्मूडा ग्रास), गुरिया ग्रास
सल्फर आक्साइड्स	सिरस, अरु, चितवन, कदम्ब, नीम, बांस, महुली, सेमल, महुआ, इमली, फाईकस	आंवला, ढाक, सुबबूल, लैन्टाना	बीयर्ड ग्रास, ब्लूस्टेम, बफैलो ग्रास, अंजन, बर्डवुड ग्रास, दूर्वा ग्रास (बर्मूडा ग्रास), गुरिया ग्रास
नाइट्रोजन आक्साइड्स	चिलबिल, आम, सिरस, महुआ, जामुन, नीम, शीशम	महुली, सुबबूल, ढाक, लैन्टाना	बीयर्ड ग्रास, ब्लूस्टेम, बफैलो ग्रास, अंजन, बर्डवुड ग्रास, दूर्वा ग्रास (बर्मूडा ग्रास), गुरिया ग्रास

ग्रीन बेल्ट हेतु मानक शर्तें।

(I-द) ग्रीन बेल्ट हेतु मानक शर्तें :-

- (1) ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र औद्योगिक परिसर के क्षेत्र (जिसमें रिहायशी क्षेत्र आदि भी सम्मिलित हैं) का कम से कम 33 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य है।
- (2) ग्रीन बेल्ट के वृक्षों के पालन (मृत हो जाने की स्थिति में आगामी वर्षाकाल में उचित प्रजाति के कम से कम 8 फीट ऊँचे पौधे रोपित किये जाये)।
- (3) ग्रीन बेल्ट की स्थापना हेतु कम से कम 8 फीट ऊँचे पौधों का रोपण किया जाये।
- (4) ग्रीन बेल्ट की ताड़-बाड़ इत्यादि से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (5) ग्रीन बेल्ट में रोपित पौधों की सिंचाई व खाद इत्यादि किये जाने की व्यवस्था रखी जाये।

(6) उद्योग के शोधित उत्प्रवाह का उपयोग ग्रीन बेल्ट की सिंचाई हेतु किया जाये।

(II) सामुदायिक भूमि पर ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण

सामुदायिक भूमि पर
ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण।

50 एकड़/100 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु शासनादेश संख्या-752/31-2013- 20/2012 टी0सी0 दिनांक 22-04-2013 द्वारा निर्देश जारी किए गये हैं। उक्त वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट माडल के आधार पर किया जायेगा। उक्त में रोपित किए जाने वाले पौधों की ऊंचाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी तथा सुरक्षा एवं सुरक्षा खर्च, पत्थर दीवाल आर0सी0सी0 खम्भे व कांटेदार ताड़-बाड़ किया जायेगा।

रोपण हेतु 60 से0मी0 X 60 से0मी0 X 60 से0मी0 गड्डे का खुदान माह-फरवरी तक पूर्ण किया जायेगा। पौध से पौध एवं पक्ति से पक्ति की दूरी 4 मीटर X 4 मीटर रखी जायेगी। माह जून में गड्डा भरान के समय उचित मात्रा में जैविक खाद मिला कर गड्डा भरान किया जाये। उक्त वृक्षारोपण हेतु यथा सम्भव ऊसर, पथरीली, कम मृदा वाले क्षेत्रों का चयन न किया जाये, उन्हीं क्षेत्रों का चयन किया जाये जहां मृदा की गहराई कम से कम 1.5 मीटर हो तथा जड़ों का विकास सम्भव हो।

(II-अ) क्षेत्र आधारित वृक्षों की प्रजातियां:-

क्षेत्र आधारित वृक्षों की
प्रजातियां।

क्षेत्र	वृक्ष की प्रजातियाँ
ऊसर क्षेत्र	बबूल, सुबबूल, कंजी, सिरस, अर्जुन, ढाक, शीशम, आंवला, जंगल जलेबी, बेर, अकेसिया औरिकुलोफॉर्मिस, कैजूराइना, प्रोसोपिस।
बीहड़ क्षेत्र	शीशम, नीम, आंवला, सिरस, बांस, कंजी, महुआ, बेल, सहजन, पापड़ी।
खादर-खोला क्षेत्र	शीशम, अर्जुन, कटसागौन, कैजूरीना, बकैन, जामुन, खैर, विलायती बबूल, कालासिरस, सुबबूल, सहजन।
विन्ध्य क्षेत्र	महुआ, सिरस, बेल, जामुन, बहेड़ा, आंवला, इमली, पीपल, बरगद, चिलबिल, कैथा, रीठा, अकेसिया औरिकुलोफॉर्मिस, कैसिया स्यामिया, सहजन।
तराई एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र	शीशम, सागौन, सिरस, खैर, अर्जुन, जामुन, सहजन।

अबैन्डन्ड सैनिटरी
लैण्डफिल साइट्स
(Abandoned
Sanitary
Landfill Sites)
पर वृक्षारोपण।

(III) अबैन्डन्ड सैनिटरी लैण्डफिल साइट्स (Abandoned Sanitary Landfill Sites) पर वृक्षारोपण

1. अन्तिम कवर 60 सेन्टीमीटर क्ले अथवा मिट्टी जिसका परमीयबिलिटी कोफिशिएंट 1×10^{-7} सेन्टीमीटर/सेकेण्ड से कम हो, द्वारा किया जाए।
2. अन्तिम कवर के ऊपर 15 सेन्टीमीटर ड्रेनेज लेयर रखी जाए।

3. ड्रेनेज लेयर के ऊपर 45 सेन्टीमीटर वेजिटेटिव लेयर रखी जाए।
4. अबैन्डन्ड साइट्स के चारो दिशाओं में न्यूनतम 200 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाए। वृक्षो का अन्तराल 3 मीटर X 3 मीटर रखा जाए तथा वृक्षो का रोपड़ स्टैगर्ड पंक्ति में किया जाए।
5. वृक्ष पंक्तियों के अंतराल में छोटे वृक्ष/झाड़ियों का रोपण का अंतराल 1 मीटर X 1 मीटर रखा जाय।

(III-अ) क्षेत्र आधारित वृक्षो की प्रजातियां:-

क्षेत्र	वृक्ष की प्रजातियाँ
ऊसर क्षेत्र	बबूल, सुबबूल, कंजी, सिरस, अर्जुन, ढाक, शीशम, आंवला, जंगल जलेबी, बेर, अकेसिया, कैजूराइना, प्रोसोपिस
बीहड़ क्षेत्र	शीशम, नीम, आंवला, सिरस, बांस, कंजी, महुआ, बेल, सहजन, पापड़ी।
खादर-खोला क्षेत्र	शीशम, अर्जुन, कठसागौन, कैजूरीना, बकैन, जामुन, खैर, विलायती बबूल, कालासिरस, सुबबूल।
विन्ध्य क्षेत्र	महुआ, सिरस, बेल, जामुन, बहेड़ा, आंवला, इमली, पीपल, बरगद, चिलबिल, कैथा, रीठा।
तराई एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र	शीशम, सागौन, सिरस, खैर, अर्जुन, जामुन।

(III-ब) वृक्षों की पंक्तियों के मध्य में छोटी झाड़ियों का रोपण किया जायेगा।

झाड़ी प्रजातियाँ

कढी पत्ता, क्रोटन, टेकोमा, केसिया ग्लूका, ढाक, आंवला, ढाक, सुबबूल, लैन्टाना, महुली, सुबबूल, ढाक, लैन्टाना, देशी मेंहदी।

(IV) परित्यक्त खदानों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कर ग्रीन बेल्ट का विकास

प्रदेश में अनेक जनपदों में विशेषकर पत्थर की खदानों के परित्यक्त क्षेत्र उपलब्ध हैं जिनके पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में खनन किये गये निचले क्षेत्र तथा साथ साथ अत्यधिक ढलान वाली भूमि उपलब्ध होती है जिस पर सामान्य तौर पर वृक्षारोपण किया जाना सम्भव नहीं होता है। कोल एवं लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में फ्लाश एश के निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में परित्यक्त खदानों के पुनरुद्धार हेतु कोल एवं लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाश एश का भरण कर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जा सकता है जिससे एक ओर तो परित्यक्त

11/8

खदानों का पुनरुद्धार होगा, वहीं दूसरी ओर फलाई ऐश के निस्तारण की समस्या का समाधान भी हो सकेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-09-1999 एवं 25-01-2016 को अधिसूचना निर्गत कर फलाई ऐश, बॉटम ऐश या पाण्ड ऐश के प्रयोग के संबंध में गाईडलाईन निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत परित्यक्त खदानों के फलाई ऐश के द्वारा पुनरुद्धार हेतु भारतीय मानक ब्यूरो एवं भारतीय खान ब्यूरो की गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इस गाईडलाईन में तापीय विद्युत संयंत्रों से 100 किमी० की परिधि में सड़क निर्माण की परियोजनाओं अथवा भूमि सुधार हेतु आवश्यक फलाई ऐश का परिवहन का शत-प्रतिशत व्यय तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य किया गया है। परित्यक्त खदानों की भूमि का पुनरुद्धार एवं वृक्षारोपण वहाँ की मृदा के सुधार हेतु अत्यन्त आवश्यक है। अतः तापीय विद्युत संयंत्रों के समीप स्थित परित्यक्त खदानों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किये जाने का कार्य तापीय विद्युत संयंत्रों, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं सिविल सोसाईटी के मध्य एक त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन के आधार पर किया जा सकता है।

(IV-अ) परित्यक्त खदानों के पुनरुद्धार की कार्य विधि

1. परित्यक्त खदानों के निचले क्षेत्रों को फलाई ऐश स्लरी से भरान किया जाये ताकि फलाई ऐश उचित प्रकार से बैठ जाये।
2. फलाई ऐश के भरान से समतलीकरण के उपरान्त लगभग 8-10 इंच मोटी मृदा की पर्त बिछाई जाये ताकि फलाई ऐश का विसरण रुक सके।
3. समतल क्षेत्र में 2मीटर X 2.5मीटर के अन्तराल में 60सेमी X 60सेमी X 60सेमी आकार के गद्दे खोदे जायें तथा उनका जैविक खाद इत्यादि मिलाकर भरान किया जाये।
4. वर्षाकाल में इन गद्दों में उचित प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाये।
5. रोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु परिधि पर कम से कम 05 लड़ी की तारबाड़ लगाई जाये तथा पौधों की सिंचाई हेतु बोरिंग या टैंकर इत्यादि के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
6. पौधों की पंक्तियों के मध्य उचित प्रजातियों की घास का रोपण किया जायेगा ताकि फलाई ऐश अनावृत न हो सके।
7. वृक्षारोपण में अधिकतम 04 फिट ऊँचाई की पौध रोपित की जाये।

(IV-ब) वृक्षारोपण हेतु वृक्षों एवं घास की प्रजातियाँ

वृक्ष-बबूल, जंगल जलेबी, शीशम, सिरस, अकेसिया ऑरिक्लोफार्मिस, बेर, पेल्टोफोरम फैरोजीनियम, कन्जी, अमलताश आदि।

घास-बीयर्ड ग्रास/ब्लूस्टेम (Bothriochloa pertusa), बफैलो ग्रास (Brachiaria mutica), मोरधन (Echinochloa colona), बर्डकुड ग्रास (Cenchrus setiger), दूर्वा ग्रास/बर्मूडा ग्रास (Cynodon dactylon), गुरिया ग्रास (Chrysopogon fulvus)।